


राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.28( )परावि/प्रशा.2/पंचा. प्र.अ.-गढ़ी/एसीबी प्रकरण/2015/ 3174 जयपुर,दिनांक: 12/7/18

:: आ दे श ::


विभागीय आदेश क्रमांक 2794 दिनांक 22.06.2018 के क्रम संख्या 14 द्वारा श्री मुकेश चन्द्र मोड पटेल, पंचायत प्रसार अधिकारी, (तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी), पंचायत समिति गढ़ी जिला बांसवाड़ा हॉल मुख्यालय जिला परिषद बांसवाड़ा को निलम्बन से बहाल किया गया है, को तत्काल प्रभाव से पंचायत समिति कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा में पंचायत प्रसार अधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

  
(पूनम प्रसाद सागर)  
संयुक्त शासन सचिव  
एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. जिला कलेक्टर बांसवाड़ा/भीलवाड़ा।
6. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाड़ा/भीलवाड़ा
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) /कोटड़ी (भीलवाड़ा)
8. श्री मुकेश चन्द्र मोड पटेल, पंचायत प्रसार अधिकारी को पालनार्थ।
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
10. आदेश पत्रावली

  
संयुक्त शासन सचिव  
एवं उपायुक्त